तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-06-26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है की प्रार्थी की खातेदारी भूमि पुराना खसरा संख्या 1458/654 रकबा 5.3115 हैक्टेयर सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 1445 रकबा 5.2679 हैक्टेयर भूमि ग्राम सिवाना तहसील सिवाना में अवस्थित है। सर्वे रिसर्वे के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिवश नवीन खसरा संख्या 1445 की तरमीम पुराने खसरा संख्या 1458/654 के रकबे अनुसार नहीं कर कम रकबा 5.2679 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड लटठा ट्रेस में दर्शा दिया गया, प्रार्थी ने खसरा संख्या 1445 का रकबा पूर्वानुसार राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में तरमीम किये जाने हेतु निवेदन किया । हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का खसरा संख्या 1445 पटवार मण्डल गोलिया के सरहद पर स्थित है खसरा संख्या 1445 का रकबे में 0.04535 हैक्टेयर का परिवर्तन है जो अनुज्ञेय सीमा है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का कम हुआ रकबा अनेुज्ञय सीमा में होने अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चो पक्षकारन अपना-अपना वहन करे। आदेश आज दिनांक 01.06.2026 को सरे इजलास सुना गया । उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	